राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सातवां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.सं.5(01) 2014–15–क0सं0एवं भाषा/ 6323-6458 दिनांकः 31/8/15

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली.

विषयः हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश ।

महोदय,

दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ स्थानीय निकायों के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने, इसका अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करने और अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति रूचि पैदा करने के उद्देश्य से कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को समय–समय पर आवश्यक निदेश भी जारी किये जाते हैं। चूंकि दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 में हिन्दी को दिल्ली की प्रथम राजभाषा घोषित किया गया है। अतः आवश्यक हो गया है कि जनसाधारण से सीधे सरोकार रखने वाले समस्त सरकारी कार्य राजभाषा हिन्दी में ही किये जाने चाहिएं।

आपसे अनुरोध है कि 14 सितम्बर को **"हिन्दी दिवस"** के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने के लिये परिचालित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रमेश तिवारी) आई.ए.एस.
सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दिनांकः 31/8/15

फा.सं.5(06) 2014–15–क0सं0एवं भाषा/ 6459 – 6482

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय,तीस हजारी, दिल्ली।
6. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
7. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली।
8. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली–92.
9. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
10. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
11. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड़, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली ।
12. प्रबंधक (मा.सं.), प्रशिक्षण एवं हिन्दी अनुभाग, इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ओ एंड एम भवन राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली–02.
13. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस–2, झण्डेवालान, नई दिल्ली ।
14. प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस. बिल्डिंग, विश्वास नगर, दिल्ली ।
15. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली।
16. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद्/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली।
17. श्री मोहम्मद अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कला, संस्कृति एवं भाषा को वेबसाइट पर डालने के संदर्भ में।

(रमेश तिवारी) आई.ए.एस.
सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्याः 23392073

K.K. SHARMA, IAS

मुख्य सचिव
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DELHI SECRETARIAT, IP ESTATE, NEW DELHI-110002
Tel.: 2339 2100, 2339 2101 Fax : 011-2339 2102
E-mail : csdelhi@nic.in

सत्यमेव जयते

अपने राष्ट्रीय और सामाजिक दायित्व की पूर्ति हेतु मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को अनवरत गरिमा और गौरव प्रदान कीजिए।

संदेश

हिन्दी दिवस,
14 सितम्बर, 2015

समाज का हित सर्वोपरि है – इस मूलमंत्र की सार्थक परिणति के लिए अपनी मातृभाषा एवं राजभाषा एक महत्वपूर्ण साधन है। अत्यंत आवश्यक है कि समाज और शासन की भाषा अलग–अलग न हो अपितु अधिकाधिक सरकारी कामकाज राजभाषा के माध्यम से ही हो।

भारत की सभी भाषाएं हमारे लिये आदरणीय हैं लेकिन समृद्ध और देशव्यापी भाषा के नाते राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने और इसका अधिक से अधिक प्रचार करने की नितांत आवश्यकता है। हिन्दी राष्ट्रीय एकता का आधार रही है और यह भारत की अस्मिता और संस्कृति की प्रतीक है ।

जैसाकि आपको विदित ही होगा कि दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिनांक 26.1.2004 से प्रभावी हो चुका है, जिसमें हिन्दी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है, परिणामस्वरूप राजभाषा के प्रचार–प्रसार का उत्तरदायित्व हम सभी पर है ।

14 सितम्बर, 2015 को हिन्दी दिवस है इस अवसर पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपना समस्त सरकारी कामकाज राजभाषा हिन्दी में करेंगे, क्योंकि हिन्दी के माध्यम से ही हम सामाजिक उत्तरदायित्वों का बेहतर परिपालन कर सकते हैं। मेरा दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ समस्त स्थानीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने दैनिक व्यक्तिगत एवं सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करें। शासन और समाज हेतु राजभाषा महत्वपूर्ण क्यों है? इस बात को समझने और अन्य लोगों को समझाने का प्रयास करें तभी "**हिन्दी दिवस**" सार्थक होगा।

मेरा समस्त विभागाध्यक्षों से भी यह अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्हें अपने विभागों में हिन्दी दिवस, हिन्दी सप्ताह तथा हिन्दी पखवाड़े का आयोजन करना चाहिये। सरकारी कामकाज में आसान हिन्दी का प्रयोग किए जाने से हिन्दी की स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी।

केवल शर्मा

(के० के० शर्मा)
मुख्य सचिव